

बोर्ड परिक्षाओं के प्रश्नपत्र सहित अन्य गोपनीय सामग्रियों का हुआ वितरण

बिलासपुर, (आरएनएस)। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं बोर्ड के प्रश्न पत्र समेत अन्य गोपनीय सामग्री का आज गवर्नमेंट स्कूल में केंद्राध्यक्षों को वितरण किया गया। इस दौरान आज शहरी इलाके के स्कूलों बांटा गया है। कल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के लिये वितरण किया गया था। प्रश्न पत्रों को विशेष सुरक्षा के साथ थानों में जमा करा दिया जायेगा। गौरतलब हो कि माशिमं द्वारा दसवीं, बारहवीं की परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिसके लिये शिक्षा विभाग के द्वारा प्रश्न पत्रों का आज गवर्नमेंट स्कूल में वितरण किया जा रहा है। आज शहरी क्षेत्र के 34 केंद्रों के लिये प्रश्न पत्र वितरण का कार्य जारी है। माशिमं द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी गई है। दसवीं बोर्ड की परीक्षा पांच मार्च और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा सात मार्च से प्रारंभ हो रही है। बोर्ड परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षा भी संपन्न हो गई है। आज प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका समेत

अन्य गोपनीय सामग्री का वितरण स्कूल परिसर में किया गया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा रखी गई है। परीक्षा सामग्री का वितरण आज दोपहर 11 बजे से प्रारंभ हुआ। कल ग्रामीण क्षेत्र के 108 केंद्रों को सामग्री वितरण किया गया था। इसके अलावा आज 24 फरवरी को शहरी क्षेत्र के 34 सेंट्रों के लिये प्रश्न पत्र का वितरण किया जायेगा। इसके साथ ही प्रश्न पत्रों को विशेष सुरक्षा में बसों से संबंधित थाना क्षेत्रों में ले जाया जायेगा। दसवीं की परीक्षा में लगभग 33 हजार एवं बारहवीं की परीक्षा में तकरीबन 21 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। 34 केंद्रों के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण हुआ परीक्षा के प्रश्न पत्रों के वितरण के संबंध में सहायक संचालक शिक्षा विभाग के अजय कौशिक ने बताया कि आज शहरी क्षेत्र के 34 केंद्रों को प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका समेत गोपनीय सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। कल शहरी क्षेत्र के केंद्रों के लिये वितरण किया जायेगा। प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा में बस के माध्यम से संबंधित थानों में रवाना किया जा रहा है।

बाल संरक्षण समिति के जागरूकता से रूका बाल विवाह

कोरबा, (आरएनएस)। एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को प्रदान किये गये प्रशिक्षण एवं समिति के सदस्य होने के प्रति उनके कार्यदायित्व से अवगत कराये जाने के कारण समिति के लोगो में जन जागरूकता का असर होने लगा है। उक्त जागरूकता के कारण जिले में गठित की गयी

के बाल संरक्षण समिति के सदस्यों द्वारा बाल विवाह के रोकथाम हेतु बने कानून के बारे में बताया गया कि बाल विवाह न हो इस हेतु कानून द्वारा लडकी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व लडके की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गयी है। यदि इस क विपरित किसी भी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह की जाती है, तो उनके विरुद्ध कठोर दण्ड का प्रावधान रखा गया है जिसमें घराती, बराती एवं विवाह कराने वालों के साथ विवाह में सम्मिलित समस्त लोगो को कठोर दण्ड से दण्डित किया जायेगा जिसमें लाखों रूपयों का जुर्माना व 7 वर्ष तक के सजे का प्रावधान है। इसके साथ ही यदि विवाह करने वाला लडका 21 वर्ष का हो परंतु लडकी 18 वर्ष से कम हुयी तो लडके के विरुद्ध, पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 7 वर्ष तक के सजा से दंडित किया जायेगा। उपरोक्त बातों से अवगत कराते हुये नाबालिग बालिका का विवाह उसके बालिग हो जाने के पश्चात करने हेतु समझाईश दी गयी। जिसे परिजनों द्वारा भी बालिका के 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर ही उसका विवाह करने की बात कही गयी। जिसके पश्चात ग्राम में इस तरह की प्रथा के आसपास के क्षेत्रों, विद्यालय, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्रों इत्यादि जगह पर चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 एवं बाल विवाह से संबंधित कानून के विषय पर ग्राम के लोगो एवं बच्चों को जानकारी प्रदान की गयी।

समिति के सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्रों में बच्चों के प्रति होने वाली घटनाओं और होने वाले बाल विवाह की जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला बाल विकास विभाग को दी जाने लगी है। जन जागरूकता की इसी कड़ी में जिला कोरबा के दुरस्थ वनांचल ग्राम श्यांग के ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों द्वारा गुरुवार 22 फरवरी को ग्राम श्यांग में किशोरी के बाल विवाह कराये जाने की सूचना दी गयी। जिसकी जांच कर होने वाले बाल विवाह को रोकने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी आनन्द प्रकाश किशोरी व जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी दया दास महंत, पर्यवेक्षक सरिता साहू, कौशिल्या प्रधान, चाइल्ड लाइन कोरबा केंद्र समन्वयक आशिष प्रकाश दान, परामर्शदाता कु. नमिता लकरा, पुलिस बल श्यांग द्वारा बाल विवाह का प्रथा करने हेतु श्यांग गये जहां बालिका की आयु 18 वर्ष से कम पायी गयी, जिसके पश्चात बाल विवाह रूकवाने गये दल एवं ग्राम

दण्ड का प्रावधान रखा गया है जिसमें घराती, बराती एवं विवाह कराने वालों के साथ विवाह में सम्मिलित समस्त लोगो को कठोर दण्ड से दण्डित किया जायेगा जिसमें लाखों रूपयों का जुर्माना व 7 वर्ष तक के सजे का प्रावधान है। इसके साथ ही यदि विवाह करने वाला लडका 21 वर्ष का हो परंतु लडकी 18 वर्ष से कम हुयी तो लडके के विरुद्ध, पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 7 वर्ष तक के सजा से दंडित किया जायेगा। उपरोक्त बातों से अवगत कराते हुये नाबालिग बालिका का विवाह उसके बालिग हो जाने के पश्चात करने हेतु समझाईश दी गयी। जिसे परिजनों द्वारा भी बालिका के 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर ही उसका विवाह करने की बात कही गयी। जिसके पश्चात ग्राम में इस तरह की प्रथा के आसपास के क्षेत्रों, विद्यालय, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्रों इत्यादि जगह पर चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 एवं बाल विवाह से संबंधित कानून के विषय पर ग्राम के लोगो एवं बच्चों को जानकारी प्रदान की गयी।

देश / विदेश / छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय

सड़क डामरीकरण कार्य का निरीक्षण किया महापौर ने

कोरबा, (आरएनएस)। निगम द्वारा वार्ड क्र. 04 में किए जा रहे सड़क डामरीकरण कार्य का आज महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल ने निरीक्षण किया तथा कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर उन्होंने वार्ड के नागरिकों से भेंट कर उनकी विकास संबंधी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सतत रूप से जारी विकास



कार्यों की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पुराने कोरबा शहर स्थित वार्ड क्र. 04 में वार्ड के स्थित सम्पूर्ण सड़कों के सड़क डामरीकरण का कार्य 01 करोड़ 04 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है, वर्तमान में डामरीकरण का कार्य वार्ड के प्रताप कुंआ मोहल्ले में किया जा रहा है। आज महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल ने स्थल पर पहुंचकर किए जा रहे सड़क डामरीकरण कार्य का सघन रूप से निरीक्षण किया, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि डामरीकरण कार्य के दौरान कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए ताकि डामरीकरण का कार्य टिकाऊ हो तथा लंबे समय तक इसका लाभ वार्ड के नागरिकों को प्राप्त होता रहे। इस अवसर पर प्रताप कुंआ बस्ती के नागरिकों से उन्होंने भेंट की तथा उनकी

सेल अकादमी खिलाड़ी का नेशनल हॉकी टीम में वयन

भिलाई, (आरएनएस)। राउरकेला स्थित सेल हॉकी अकादमी (एसएचए) के खिलाड़ी शिलानंद लकरा को 18 सदस्यीय भारतीय सीनियर हॉकी टीम (पुरुष) के लिए चुना गया है, जो 3 मार्च से 10 मार्च, 2018 तक मलेशिया के इपोह में खेले जाने वाले 27वें सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगा। शिलानंद हॉकी में फरवर्ड लाइन के खिलाड़ी हैं और मलेशिया में अक्टूबर, 2017 में आयोजित सुल्तान ऑफ जोहोर कप के कांस्य पदक विजेता जूनियर नेशनल टीम का हिस्सा रहे हैं। यह टूर्नामेंट मलेशिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत के अलावा विश्व की पहले नंबर की टीम आस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर की टीम अर्जेंटीना तथा इंग्लैंड और स्टेडियम भी बनाया गया। इस हॉकी स्टेडियम को जून, 2005 में सिंथेटिक टर्फ की अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित किया गया। राउरकेला में हॉकी अकादमी के अलावा, सेल के बोकरो और बर्नपुर में दो पुर्बॉल अकादमी, भिलाई में लड़कों के लिए और दुर्गापुर में एक लड़कियों के लिए एक-एक एथलेटिक्स अकादमी है। सेल की किरिबुरु में एक तीरंदाजी अकादमी भी है। सेल हॉकी अकादमी के कई खिलाड़ियों ने भारतीय हॉकी के लिए अपना योगदान दिया है।



ही में, सेल अकादमी की टीम ने मध्यप्रदेश के खरगांव में 18 से 21 जनवरी के बीच आयोजित नबाग्रह ट्रॉफी ऑल इंडिया इन्विटेशन हॉकी टूर्नामेंट में विजेता का खिताब हासिल किया। इस सिलसिले को जारी रखते हुए, सेल अकादमी की टीम ने 23 से 31 जनवरी, 2018 के बीच झांसी, उत्तरप्रदेश में आयोजित 8वें विनोद खांडेकर ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट (अंडर 21) में भी भाग लिया और रेलवे हॉकी अकादमी, महाराष्ट्र की टीम को फइनल में हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। भारत में हॉकी के गढ़ के नाम से विख्यात राउरकेला के 15 एकड़ क्षेत्र में सेल हॉकी अकादमी (एसएचए) की स्थापना 1992 में की गई। इसके बाद, हॉकी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ एक स्पेशल हॉकी स्टेडियम भी बनाया गया। इस हॉकी स्टेडियम को जून, 2005 में सिंथेटिक टर्फ की अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित किया गया। राउरकेला में हॉकी अकादमी के अलावा, सेल के बोकरो और बर्नपुर में दो पुर्बॉल अकादमी, भिलाई में लड़कों के लिए और दुर्गापुर में एक लड़कियों के लिए एक-एक एथलेटिक्स अकादमी है। सेल की किरिबुरु में एक तीरंदाजी अकादमी भी है। सेल हॉकी अकादमी के कई खिलाड़ियों ने भारतीय हॉकी के लिए अपना योगदान दिया है।

तेलंगाना के अधिकारियों ने कहा तुपाकलगुडम बांध से छग को डूबान खतरा नहीं

जगदलपुर, (आरएनएस)। बस्तर की सीमा पर स्थित तेलंगाना के तुपाकलगुडम बांध से छग को डूबान का कोई खतरा नहीं है। तेलंगाना के जल संसाधन विभाग के भूपापल्ली स्थित ईई ने छग के काग्रेस पदाधिकारियों को यह आश्वासन दिया है कि, इस प्रकार से गोदावरी में बन रहे 16.24 अरब रुपये के वाटर प्रोजेक्ट से छग को डूबान का खतरा नहीं होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस स्थान पर यह डेम बन रहा है उसे देखते हुये ऐसा लगता है कि छग की भूमि भी डूबान क्षेत्र में आ सकती है। छग की अंतिम सीमा के पास तारलागुडा स्थित गांव के 5 किमी दूर स्थित गोदावरी नदी पर तेलंगाना द्वारा यह बांध बनाया जा रहा है। वहां के कार्यपालन यंत्रि ने इस संबंध में मिलने गये काग्रेस के पदाधिकारियों को यह आश्वासन दिया कि इस बांध से छग की भूमि डूबान में नहीं आयेगी। इस संबंध में काग्रेस के नेताओं ने घटना स्थल पर जाकर वहां के जल संसाधन विभाग से विस्तृत चर्चा की और उन्हें यह आश्वासन दिया गया। इस संबंध में ईई ने बताया कि यह बांध केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंजूरी से बन रहा है और डेम का पानी नदी के बाहर प्रवाहित नहीं होगा और इसमें हमेशा 76 मीटर तक पानी भरा रहेगा। बारिश में भी यदि पानी अधिक हुआ तो डेम के निकासी गेट खोल दिये जायेंगे। इससे पानी का ओव्फ्लो नहीं होगा।

तेंदूपता साख कर्तन की तैयारी जोर शोर से

महासमुंद, (आरएनएस)। आगामी 1 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं तेंदूपता कार्य के लिए इन दिनों जिले के विभिन्न पंचायत सरपंच समिति क्षेत्रों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है इसी क्रम में 23 फरवरी को महासमुंद क्षेत्र का सिरपुर



सहयोग लेवे, इस वर्ष तेंदूपता संग्रहण पारिश्रमिक 2500 रुपए प्रति मानक बोरा दिया जावेगा अर्थात 1 सैंकड़ा तेंदूपता कि पारिश्रमिक राशि 250 रुपए दी जावेगी और हर मुशियों का कमीशन 40 रुपए प्रति मानक बोरा दिया जाएगा तथा साख कर्तन 40 बढ़ाकर 52 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है शासन के समक्ष लगातार मांग के चलते 28- 29 वर्षों से कम मानदेय पर कायदेय स मिति प्रबंधकों को 12500 रुपए प्रतिमाह एवं पड मुशियों को 200 रुपए प्रति माह मानदेय के अनुसार 8 माह तक साइकिल भत्ता दिया जाएगा 2017 सीजन में हमारा लक्ष्य जो निर्धारित था उसके 94 प्रतिशत से अधिक का तेंदूपता संग्रहण किया इस वर्ष हमारा तेंदूपता संग्रहण लक्ष्य 95000 हजार 600 मानक बोरा निर्धारित किया गया है।

सुरक्षा बलों को गश्त से रोकने नक्सली रास्ते में बिछा रहे कीला

जगदलपुर, (आरएनएस)। नक्सलियों द्वारा सुरक्षाबलों के उनके प्रभाव क्षेत्र में आने से रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। पहले आईडी बम सहित कई विकल्प प्रेशर बम, टिफिन बम जैसे उपाय किये जा रहे थे। अब इसी कड़ी में सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने रास्ते में नक्सली कीला बिछाने की कार्यवाही कर रहे हैं। जिससे सुरक्षाबलों को आंशिक रूप से आवाजाही में परेशानी होती है। वहीं जब सुरक्षाबल परेशान होते हैं तब नक्सली उन पर हमला कर देते हैं। इस प्रकार सुरक्षाबलों को दोहरा आक्रमण झेलना पड़ता है। यह भी जानकारी मिली है कि नक्सली कील बनाने के लिए पुल-पुलियों में बिछाई गई छड़ों का उपयोग कर रहे हैं। इन छड़ों को क्षेत्र के पुल-पुलियों को क्षतिग्रस्त कर काटकर निकाला जाता है। फिर उसे नुकीला बनाया जाता है। इसके बाद इसे लकड़ी जैसे माध्यम से सहारा देते हुए सड़क में गाड़ दिया जाता है। सुरक्षाबल के जवान जब चलते हुए कीलों पर पैर

बच्चों के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है किलकारी कक्ष

जगदलपुर, (आरएनएस)। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति टी. राधाकृष्णन ने कहा कि किलकारी कक्ष के होने से कुटुंब न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों में पेशी के दौरान आने वाली महिलाओं व बच्चों को सुविधा होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे कक्षों की शुरुवात अब पूरे छत्तीसगढ़ में की जाएगी, जिससे बच्चों के हक और अधिकारों की रक्षा के साथ ही परिवार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण में सहायता मिलेगी। जिला एवं सत्र न्यायालय में अपने छोटे बच्चों के साथ पेशी में आने वाली महिलाओं के लिए एक नई सुविधा किलकारी कक्ष का शुभारंभ करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि जिन जिलों के न्यायालयों में विवादित प्रकरणों की संख्या बहुत ज्यादा है वहां शीघ्रतापूर्वक उन्हें सुलझाया जाना पहली प्राथमिकता है। ऐसे में समझौता योग्य प्रकरणों के पक्षकारों को आपस में राजीनामा करने के लिए प्रेरित करना निहायत जरूरी है। समारोह में पहुंचे

औद्योगिक क्षेत्र से लगे गांवों में औचक जांच, 180 सदेही हिरासत में

रायपुर, (आरएनएस)। धरसीवा थाना के औद्योगिक क्षेत्र सितलरा के आसपास के ग्रामों में आज सुबह से पुलिस ने औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान करीब 180 सदेहियों को तस्दीक हेतु थाना लाया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएसपी उरला, कोतवाली के निर्देशन में आज सुबह थाना प्रभारी धरसीवा, तिल्ला, खरोरा, मौदहापारा, आमानाका, उरला थाना गंज, देवेन्द्र नगर, टिकरापारा, आरंग, राखी, अभनपुर का बल एवं पुलिस लाइन का अतिरिक्त बल, बाइक पेट्रोलिंग, पीसीआर सहित कुल 150 बलों की अलग-अलग टीम बनाई गई। इन टीमों को औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा सहित आसपास के

गुजरात से औषधीय पौधों की उन्नत खेती देख-सीख कर लौटे छत्तीसगढ़ के किसान

रायपुर, (आरएनएस)। औषधीय एवं संगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, आणंद, गुजरात से औषधीय पौधों के कृषिकरण के आधुनिक अध्ययन प्रवास से छत्तीसगढ़ के किसानों का दल आज शाम राजधानी रायपुर पहुंचे, जिनका स्वागत छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ. जे.पी. शर्मा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिरीष चन्द्र अग्रवाल द्वारा गर्मजोशी के साथ किया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के नौ जिलों के 16 किसान और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थी एक सप्ताह की अध्ययन यात्रा पर 14 फरवरी को रवाना हुए थे। किसानों ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर से आठ राज्यों के कृषक भी आए थे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या छत्तीसगढ़ के किसानों की थी। छत्तीसगढ़ के किसानों के ज्ञान एवं जिज्ञासा को देखते हुए वहां के सभी किसानों तथा संस्थान के निदेशक किसानों को वैज्ञानिक किसानों की श्रेणी से संबोधित करते थे तथा औषधीय पौधों की खेती सभी आधुनिक तकनीकों, बाजार कम से कम लागत एवं अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो सके की जानकारी रोजाना प्रदान की जाती थी। प्रशिक्षण से उत्साहित किसानों ने यह भी कहा अब वे खेती को जीविकोपार्जन के बजाय व्यापार की तरह करेंगे। इस मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिरीष चन्द्र अग्रवाल ने आश्वासन दिलाया कि औषधीय पौधों के कच्चे उपजों के लिए बाजार उपलब्ध करने के लिए बोर्ड हर संभव प्रयास करेगा तथा उन्हें कच्चे माल का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के लिए कार्य करेगा। बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ. जे.पी. शर्मा ने इस मौके पर यह आश्वासन दिया कि औषधीय पौधों की खेती में मृदा परिक्षण जो भी व्यय होगा उसे बोर्ड वहन करेगा तथा सोलर सिस्टम से स्थापित होने वाले पंप के लिए भी जल्द से जल्द कार्यवाही की जावेगी।